न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक

नम्बर मुकदमा — 431/2023 निर्णय दिनांकः— 18.03.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 प्रभजोत सिह पुत्र गुरतेज सिह जाति जटसिख सा. शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 रघुवीर सिह पुत्र गुरतेज सिह जाति जटसिख सा. शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— वादीगण

बनाम

1 गुरतेज सिह पुत्र ईशर सिह जाति जटसिख सा. शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरतेज सिह पुत्र ईशर सिह पत्नी शमशेर सिह जाति जटसिख सा. बुधसिहवाला तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक आफॅ इण्डिया शाखा लीलांवाली

4 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री हरबंन्श सिहं झोरड — अधिवक्ता वादीगण

श्री बन्टुंश बिशनोई — अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

श्री संजय साहेवाल — अधिवक्ता प्रति स. 3

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति स. 2 के पिता प्रति स. 1 के नाम चक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071—74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी खाता में 3.373 है0 भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 2 वादीगण की बहिन है। प्रति स. 2 [illegible] पिता से प्राप्त विरास्तन हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण व प्रति [illegible] ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक [illegible] शेष नही है। वादीगण व प्रति स. 1 ने दावा की दफा 2 में दर्ज [illegible] का घरू विभाजन कर रखा है। जिसके मुताबिक वादी स. 1 के हिस्सा में चक 15 एम. के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071—74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज भुमि में से 1.012 है0 मय गै.मु. व इसी चक के इसी खाता में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

से वादी स. 2 के हिस्सा में 1.012 है. मय गै.मु. इस प्रकार प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी में से वादीगण के नाम ब.हि.ब. 2.024 है0 भुमि दर्ज करवाना चाहते है।शेष भुमि बदस्तुर प्रति स. 1 के नाम दर्ज रहेगी। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने इस बाबत प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कारी हो गये। बस यही वाद कारण है। अतःचक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी खाता में दर्ज कुल 3.373 है0 भुमि मे से 1.012 है. मय गै.मु. आराजी का वादी स. 1 खातेदार काश्तकार है। व इसी प्रकार चक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी खाता में दर्ज 3.373 है0 भुमि मे से 1.012 है. आराजी का वादी स. 2 खातेदार काश्तकार है। शेष आराजी प्रति स. 1 के नाम बदस्तुर रहेगी। अतः चक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी खाता में दर्ज 3.373 है0 भुमि मे से 2.024 है0 आराजी प्रति स. 1 के हिस्सा से कम की जावें।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से बैक का जवाब पेश किया गया व प्रति स. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही करने पर वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादीगण के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वा[illegible] कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जाता है कि वादी स. 1 प्रभजोत सिह को चक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071-74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज 3.3730 है0 नहरी मय गै.मु आराजी मे से 1.012 है0 नहरी मय मय गै.मु. व वादी स. 2 रघुवीर सिह का चक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071-74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे दर्ज 3.3730 है. नहरी मय गै.मु. आराजी मे से 1.012 है. मय गै.मु. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गुरतेज सिह का हिस्सा उक्तानुसार कम किया जावे।

निज........X.......... मुब्लिक.......X....... बाबत.......X.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2024 को जारी की गई।

नोटः- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kuma
Meena
Date: 2024.04.26 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 प्रभजोत सिह पुत्र गुरतेज सिह जाति जटसिख सा. शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 रघुवीर सिह पुत्र गुरतेज़ सिह जाति जटसिख सा. शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 गुरतेज सिह पुत्र ईशर सिह जाति जटसिख सा. शेरगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरतेज सिह पुत्र ईशर सिह पत्नी शमशेर सिह जाति जटसिख सा. बुधसिहवाला तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक आफॅ इण्डिया शाखा लीलांवाली

4 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित
श्री हरबंन्श सिह झोरड – अधिवक्ता वादीगण
श्री बन्टुंश बिशनोई – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2
श्री संजय साहेवाल – अधिवक्ता प्रति स. 3

मु. स . 431/2023 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] श्री हरबंन्स सिह झोरडें एड. वादीगण व श्री बन्टुंश बिशनोई एड. [illegible] स. 1 व 2 व श्री संजय साहेवाल एड. प्रति स. 3 पेश होकर हुक्म दिया जा[illegible] कि वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि वादी स. 1 [illegible] चक 15 एम.के.एस. खाता स. 21/16 ज.स. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी में दर्ज 3.3730 है0 नहरी मय गै.मु आराजी मे से 1.012 है0 नहरी मय मय गै.मु. व वादी स. 2 रघुवीर सिह का चक 15 एम.के.एस. खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:25:01 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

स. 21/16 ज.स. 2071–74 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे दर्ज 3.3730 है. नहरी मय गै.मु. आराजी मे से 1.012 है. मय गै.मु. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गुरतेज सिह का हिस्सा उक्तानुसार कम किया जावे।

निज.......X....... मुब्लिक.......X....... बाबत.......X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested